



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू पुत्र श्री प्रकाश चन्द, जो ग्राम-नीम चाना, थाना-अगौता, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। दिनांक 8/09.07.2007 को बन्दी ने 06 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर का अपहरण करने के उद्देश्य से अवैध सभा का गठन करने के बाद अपहरण कर रनवीर की हत्या की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की हत्या की और साक्ष्य छुपाने की नियत से दोनों के शवों को निकट स्थल पर रखे बिटौरे में डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-1290/2007 में भा०द०वि० की धारा-147, 364/149, 302/149, 201 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-09, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2013 को बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 02.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की घटना से इंकार नहीं किये जाने, पूर्व में किये गये अपराध के कारण पुनः अपराध कारित किये जा सकने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 8/09.07.2007 को बन्दी ने 06 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर का अपहरण करने के उद्देश्य से अवैध सभा का गठन करने के बाद अपहरण कर रनवीर की हत्या की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की हत्या की और साक्ष्य छुपाने की नियत से दोनों के शवों को निकट स्थल पर रखे बिटौरे में डालकर जला दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या/संस्तुति के

प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू पुत्र श्री प्रकाश चन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू (बन्दी संख्या-16921) पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-172/2026/1332(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

दिनांक: 16 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू पुत्र श्री प्रकाश चन्द, जो ग्राम-नीम चाना, थाना-अगौता, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। दिनांक 8/09.07.2007 को बन्दी ने 06 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर का अपहरण करने के उद्देश्य से अवैध सभा का गठन करने के बाद अपहरण कर रनवीर की हत्या की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की हत्या की और साक्ष्य छुपाने की नियत से दोनों के शवों को निकट स्थल पर रखे बिटौरों में डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-1290/2007 में भा०द०वि० की धारा-147, 364/149, 302/149, 201 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-09, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2013 को बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 02.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की घटना से इंकार नहीं किये जाने, पूर्व में किये गये अपराध के कारण पुनः अपराध कारित किये जा सकने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 8/09.07.2007 को बन्दी ने 06 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर का अपहरण करने के उद्देश्य से अवैध सभा का गठन करने के बाद अपहरण कर रनवीर की हत्या की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की हत्या की और साक्ष्य छुपाने की नियत से दोनों के शवों को निकट स्थल पर रखे बिटौरों में डालकर जला दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश उर्फ टीटू पुत्र श्री प्रकाश चन्द को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।